

बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश  
(संख्या /2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,  
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 6.3.2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) - स्थापना के तहत केन्द्रांश मद में रू. 36736.30 लाख तथा राज्य स्कीम मद में रू. 1221.00 लाख अर्थात कुल रू. 37957.30 लाख (तीन सौ उनासी करोड सनतावन लाख तीस हजार रू०) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा ज्ञापांक-5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, धातु महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के संचालन हेतु विभिन्न घटकों में कुल रू. 136052.77 लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-33 दिनांक- 16.04.2025 एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त रू० 53827.30 लाख के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 111 दिनांक 14.08.2025 तथा द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त रू. 55197.78 लाख मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 130 दिनांक 24.12.2025 द्वारा प्रदान की गई है। योजना को SNA SPARSH के तहत संचालित किये जाने हेतु संगत राज्यांश मद में आन्तरिक सामंजन के माध्यम से रू० 36736.30 लाख एवं राज्य योजना मद से विभिन्न योजनाओं से आन्तरिक सामंजन से प्राप्त रू० 1221.00 लाख अर्थात कुल रू. 37957.30 लाख (तीन सौ उनासी करोड सनतावन लाख तीस हजार रू०) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व से स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1.	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) - स्थापना (केन्द्रांश)	25:75/ 60:40	3975 (BR10)	(51-2235021020222)	0222- 02.01,13.01,13.06,13.10,14.01,2 0.03,21.01,26.01,27.01,32.01,52. 01	75863.75	36736.30
2.	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) - स्थापना(राज्य स्कीम)	00:100		(51-2235021020123)	0123.01.06,13.10, 26.01, 28.04, 37.01,52.01	3466.82	1221.00
कुल (तीन सौ उनासी करोड सनतावन लाख तीस हजार रू०) मात्र							37957.30

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।
3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक - 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि० दिनांक 01.04.2025, 600/वि. दिनांक- 06.08.2025, 950/वि. दिनांक- 12.12.2025, 191/वि० दिनांक 16.02.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो०-स०क०-27/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-35/टि० पर दिनांक-24.02.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गई है कि (क) निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र नियंत्री पदाधिकारी महालेखाकार कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे। (ख) भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि की विमुक्ति के पश्चात ही समानुपातिक राज्यांश राशि की निकासी की जायेगी।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०-स०क०-27/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या- 37/टि० पर दिनांक-27.02.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव

ज्ञापांक- 3/यो०-स०क०-27/2022/

01

पटना, दिनांक-

6-3-2026

**प्रतिलिपि** - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 3/यो०-स०क०-27/2022/

01

पटना, दिनांक-

**प्रतिलिपि** - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 3/यो०-स०क०-27/2022/

01

पटना, दिनांक-

6-3-2026

**प्रतिलिपि** - विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव